लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल–462023

क्रमांक/अतिथि शिक्षक/2025–26/239 भोपाल, दिनांक 02.08.2025

प्रति

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक म.प्र.।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
4. समस्त संकुल प्राचार्य हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश।

विषयः–शैक्षणिक सत्र 2025–26 मे विद्यालय मे रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों के अपडेशन के संबंध में।

संदर्भः–संचालनालय का पत्र क्र/199 दिनांक 26.06.2025।

उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार शैक्षणिक सत्र 2025–26 मे रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय के शाला प्रभारी के लॉगिन पर आवश्यकतानुसार रिक्तियों के अपडेशन करने की सुविधा उपलब्ध करायी गई थी। कतिपय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि शाला प्रभारियों द्वारा रिक्ति अपडेट करते समय त्रुटिपूर्ण जानकारी अपडेट होने से उन्हे विद्यालय मे अतिथि शिक्षक आमंत्रण मे कठिनाई आ रही है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेषित किये गये पत्रों के आधार पर विद्यालय मे रिक्तियों के अपडेशन हेतु शाला प्रभारियों को **अन्तिम अवसर प्रदान** किया जाता है। अतः शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों के अपडेशन की कार्यवाही एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर <u>दिनांक 02.08.2025 से दिनांक 05.08.2025 तक</u> कर सकेगे।

2/ शैक्षणिक सत्र 2025–26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय मे नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु वास्तविक आवश्यक रिक्तियों की प्रविष्टि करने की कार्यवाही विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा निम्नलिखित आधार पर की जाए–

2.1 विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा, कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों (सेक्शन) एवं समयसारणी (टाईम टेबिल) में कुल कालखण्ड की संख्या तथा विद्यार्थियों की दैनिक औसत उपस्थिति के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता की प्रविष्टि करेगें। यह पूर्व से निर्धारित है, कि प्रत्येक नियमित शिक्षक न्यूनतम 4

Scanned with OKEN Scanner

कालखण्ड एवं अधिकतम 6 कालखण्ड में अध्यापन कराएगें। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करें। सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें। विद्यालय मे वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही प्रविष्टि करेगें।

2.2 समस्त शाला प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है, कि **पैरा–2.1 अनुसार** अतिथि शिक्षक की आवश्यकता का आंकलन करने के उपरांत तद्नुसार रिक्तियों के अपडेशन की कार्यवाही निर्धारित समयसीमा मे करना सुनिश्चित करें। यदि शाला प्रभारियों द्वारा निर्धारित समयसीमा मे कार्यवाही नही की जाती है, तो यह माना जायेगा कि उन्हे विद्यालय मे अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता नही है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित समयसीमा मे करना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ. क्र./अतिथि शिक्षक/2025–26/240
प्रतिलिपिः–

भोपाल, दिनांक 02.08.2025

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
2. सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
3. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
6. समस्त शाला प्रभारी (शासकीय विद्यालय) स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. Nicsi भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पोर्टल पर समयसीमा मे आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner